

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती पारूल कुमारी..उ०प्र०न्यायिक सेवा (यू.पी.3546)

UPHP120045172025

Misc. Civil Execution-07/2025

इजराय वाद संख्या-07/2025

मुकेश कुमार बनाम सतीश सिंह

दिनांक-01.08.2026

पत्रावली पेश हुई। डिक्रीदार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार द्वारा मदयून की ओर से इकरारनामा दिनांकित 19.03.2016 के अनुपालन में इकरारनामों में वर्णित सम्पत्ति को डिक्रीदार के पक्ष में कराये जाने की बाबत इजराय वाद दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2026 को डिक्रीदार के पक्ष में बैनामा कराया गया तथा कब्जा दखल हेतु अमीन कमीशन को आदेशित किया गया। अमीन आख्या प्राप्त है, जिसमें डिक्रीदार को कब्जा दखल दिया जाना अंकित है। आज डिक्रीदार न्यायालय उपस्थित आया तथा उसके द्वारा आदेश पत्रक पर पृष्ठांकित किया गया है कि "इजराय व दखल की कार्यवाही से पूर्ण संतुष्ट है।" लिहाजा इजराय वाद की कार्यवाही आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इजरायवाद पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

इजराय वाद 07/2025 की कार्यवाही डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त की जाती है। नियमानुसार वांछित न्यायशुल्क देय होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू०डि०), गढ़मुक्तेश्वर
जनपद हापुड़।